मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
प्रथम तल, वल्लभ भवन–3, भोपाल–462004
दूरभाष–0755–2708599 ईमेल–usphedbho@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 24 MAY 2021

// आदेश //

क्रमांक एफ 11–03/2017/2/34 : कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के दृष्टिगत अधोसंरचना के क्षेत्र में भारत शासन, वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेन्डम क्रमांक एफ–9/04/2020/पीपीडी दिनांक 12 नवम्बर 2020 के अनुक्रम में, एवं राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–58/01/2021/19 दिनांक 08.02.2021 तथा ज्ञाप क्रमांक एफ 58–1/2021/19/यो/735 दिनांक 18.02.2021 के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में, आदेश जारी होने की दिनांक से दिनांक 31.12.2021 तक निष्पादित होने वाले सभी निर्माण के अनुबंधों में परफारमेंस गारंटी की राशि 03 प्रतिशत के मान से लिये जाने का निर्णय लेता है। इस निधि की प्राप्ति/वापसी की प्रक्रिया पूर्व अनुसार यथावत रहेगी। पूर्व के निष्पादित अनुबंधों में कोई राशि वापसी नहीं की जायेगी एवं दिनांक 31.12.2021 के पश्चात् इस आदेश के फलस्वरूप लाभान्वित होने वाले अनुबंधों से कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जायेगी। यह आदेश म.प्र.जल निगम के अनुबंधों के लिये लागू नहीं है। यह छूट सामग्री क्रय करने एवं सेवाओं के क्रय संबंधित अनुबंधों पर लागू नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिलीप कुमार जैन)
अवर सचिव

पृ. क्रमांक एफ 11–03/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 24 MAY 2021

प्रतिलिपि :–

1– माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2– माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निज सहायक भोपाल।
3– मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के उप सचिव, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
4– प्रबंध संचालक, म.प्र.जल निगम मर्यादित, भोपाल।
5– प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6– समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
7– समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
8– समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,मध्यप्रदेश।

अवर सचिव

PA-2021